न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 03/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/08

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.केवलराम पुत्र बीजा 2.कालूराम पुत्र बीजा 3.भंवरी पत्नि बीजा 4.सोहनलाल पुत्र बीजा जाति जटिया निवासी कोरणा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 26/09/2025

1.संक्षिप्त मे आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोरणा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 746 से विभक्त होकर खसरा संख्या 1628/746 व 1627/746 बने। जिसमे से खसरा संख्या 1627/746 क्षेत्रफल 1.3031 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति बीजा पुत्र रावता के नाम खातेदारी की थी,जिसमे से प्रार्थीगण के पिता/पति बीजा द्वारा 4343.07 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन करवाए गए थी,जिसके खसरा संख्या 1758/746 कायम हुए। तत्कालीन हल्का पटवारी को संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा मुताबिक तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा इसके विपरीत जाकर लटढा नक्शा मे तरमीम की गई। जिसके कारण प्रार्थीगण को क्षति हो रही है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 1627/746 क्षेत्रफल 1.3031 हैक्टयर भूमि मे से 4343.07 वर्गमीटर सम्परिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा मुताबिक करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश की गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन-पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम कोरणा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 746 से विभक्त होकर खसरा संख्या 1628/746 व 1627/746 बनें। जिसमे से खसरा संख्या 1627/746 क्षेत्रफल 1.3031 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति बीजा पुत्र रावता के नाम खातेदारी की थी,जिसमे से प्रार्थीगण के पिता/पति बीजा द्वारा 4343.07 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन करवाए गए थी,जिसके खसरा संख्या 1758/746 कायम हुए। तत्कालीन हल्का पटवारी को संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा मुताबिक तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा इसके विपरीत जाकर लटढा नक्शा मे तरमीम की गई। अशुद्व तरमीम के कारण मौका एंव रेकर्ड स्थिति मे एकरूपता नही है। इस कारण प्रार्थीगण को सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुरूप विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमे पाया कि ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1627/746 रकबा 8.01 बीघा भूमि बिजा पुत्र रावता कौम जटिया की खातेदारी मे अवस्थित थी। उक्त खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से रकबा 2.14 बीघा भूमि गै.मु.औघोगिक संपरिवर्तन करवाए जाने पर खसरा संख्या 1758/746 कायम करते हुए नामान्तकरण संख्या 1430/18.11.2024 पारित हुआ। संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा व विदयमान नक्शा अवलोकन से प्रतीत होता है कि संपरिवर्तन नक्शा के अनुरूप लटढा नक्शा मे तरमीम नही हो रखी है। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट मे भी स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित आराजी की तरमीम संपरिवर्तन आदेश के विपरीत हो रखी है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर विवादित भूमि का मौका मुआयना करते हुए सम्परिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा मुताकि तरमीम दुरूस्त किए जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 03/2025
केवलराम बनाम तहसीलदार कल्याणपुर

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1758/746 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार कल्याणपुर को प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विषयक भूमि के संबध मे पारित संम्परिवर्तन आदेश क्रमांकःएल.सी./2021–22/107427 दिनांक 30.10.2021 के संलग्न नक्शा मुताबिक विवादित भूमि की नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश नियमानुसार पारित करें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

26/09/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26/09/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

26/09/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा